न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :– 11/2024 (जीसीएमएस 2024/22)

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना, जिला श्रीगंगानगर राज.।

....वादी

बनाम

1. दीपक कुमार जिन्दल पुत्र सतपाल जिन्दल जाति अग्रवाल साकिन 3 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. विपन कुमार पुत्र सतपाल जाति अग्रवाल साकिन 3 एसटीआर तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज0।

....प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1. वादी स्टेट की ओर से राजपैरोकार।
2. श्री हरजीत सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 (1) अ
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–28.01.2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) घड़साना ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177(1) अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी का स्थाई एवं पंजीकृत पता वही है जो शीर्षक में अंकित है। तहसील घड़साना के चक 10 जीडी–बी के प.न. 205/44 के कि.न. 1/1 का 0.203 है0, 2 ता 7 प्रत्येक 0.253 है0, 10/1 का 0.203, 11/14 का 0.1037 है0 कुल 2.0277 है0 अ0क0 रकबा दीपक कुमार जिन्दल पुत्र सतपाल जिन्दल जाति अग्रवाल सा0 3 एसटीआर तहसील घडसाना एवं प0न0 205/44 का कि0न0 15/16 का 0.092 है0, 16, 17 प्रत्येक 0.253 है0, 20/1 का 0.202 है0 21/1 का 0.202 है0, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 है0 कुल 2.0140 है0 अ0क0 रकबा विपन कुमार पुत्र सतपाल जाति अग्रवाल सा0 3 एसटीआर तहसील घड़साना खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से प0न0 205/44 (मु0न0 11) का कि0न0 1/1 का 0.203 है0, 2 का 0.253 है0, 10/1 का 0.203 है0, 11/14 का 0. 1037 है0 कुल 0.7627 है0 अ0क0 एवं कि0न0 20/1 का 0.202 है0, 21/1 का 0.025 है0, 22 का 0.126 है0 कुल 0.353 है0 अ0क0 रकबा को वाद पत्र में आगे विवादित भूमि कहा जायेगा। मुझ प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से उक्त भूमि की मौका की जांच रिपोर्ट ली गयी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक उपरोक्त विवादित कृषि भूमि चक 10 जीडी बी के प. न. 205/44 के (मु0न0 11) का कि.न. 1/1 का 0.203 है0, 2 का 0.253 है0, 11/14

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

का 0.203 है0, 11/14 का 0.1037 है0 कुल 0.7627 है0 अ0क0 एवं कि0न0 20/1 का 0.202 है0, 21/1 का 0.025 है0, 22 का 0.126 है0 कुल 0.353 है0 अ0क0 रकबा कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा श्रमिको हेतु आवासीय कमरे बनाकर एवं कच्ची ईंटों, मिट्टी के ढेर, बना कर अकृषि कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि अप्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत बिना रूपान्तरित करवाये अकृषि कार्य (ईट भट्टा प्रयोजनार्थ) हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1)अ आरटीए के तहत कार्यवाही की जावें। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि को अकृषि कार्य के उपयोग में लेने से राज0 काश्तकारी के अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन है एवं आवंटन शर्तो के विरूद्द होने के कारण खातेदारान की भूमि का आवंटन खारिज कर आराजीराज दर्ज किया जाना न्यायोचित है। क्योंकि खातेदारान ने कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर कानूनी प्रावधानों की उल्लघंना की है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार में है एवं दो प्रतियों में पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना अनुमति के अकृषि कार्य (ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ) हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि चक 10 जीडी बी के प.न. 205/44 के (मु0न0 11) का कि.न. 1/1 का 0.203 है0, 2 का 0.253 है0, 10/1 का 0.203 है0, 11/14 का 0.1037 है0 कुल 0.7627 है0 अ0क0 एवं कि0न0 20/1 का 0.202 है0, 21/1 का 0.025 है0, 22 का 0.126 है0 कुल 0.353 है0 अ0क0 रकबा को राजकीय भूमि में समायोजित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश किए गये। जो निम्न प्रकार है –

प्रार्थना पत्र की मद 1 पता से सम्बन्धित है। मद संख्या 2 में चक 10 जीडी बी के प0न0 205/44 के किला नं0 1, 2 ता 7, 10 व 11 कुल 2.0277 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा अप्रार्थी संख्या 1 दीपक कुमार जिन्दल के नाम से व प0न0 205/44 के किला नं. 15, 16, 17, 20, 21, 22 ता 25 कुल 2.0110 हैक्टेयर अनकमाण्ड रकबा अप्रार्थी संख्या 2 विपन कुमार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना रिकॉर्ड का तथ्य है लेकिन उक्त भूमि विवादित भूमि नही है। मद संख्या 3 में दर्ज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होना रिकॉर्ड के तथ्य है। मद संख्या 4 गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नही अस्वीकार है जिस तरह से दर्ज की गई है स्वीकार नही अस्वीकार है। उक्त भूमि अनकमाण्ड भूमि है और उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही है उक्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा ना तो श्रमिकों के आवासीय कमरे बनाये गये थे और ना ही कच्ची ईन्टों, मिट्टी के ढेर बनाकर अकृषि कार्य किया जा रहा था जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि वाके चक 10 जीडी–बी के प0न0 205/44 मु0न0 11 के किला नं0 13/2, 14 सालम, 15/4 व 18 ता 19 सालम कुल 0.999 हैक्टेयर भट्टा क्षेत्र हेतू कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग श्रीगंगानगर से दिनांक 14/02/2024 को परमिट जारी करवा रखा है तथा शेष भूमि वाके चक 10

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

जीडी–बी प0न0 205/44 मु0न0 11 किला नं0 1 की 1/1(0.203), किला नं0 2 ता 7, किला नं0 10/1(0.203), 11/14 (0.1037), 15/16(0.082), 16, 17, 20/1(0.202), 21/1(0.202), 22 ता 25 कुल 4.0417 हैक्टेयर ईन्ट, मिट्टी, खनन/पथेर क्षेत्र हेतू कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एंव भूविज्ञान विभाग श्रीगंगानगर से दिनांक 04/01/2024 को परमिट जारी करवा रखा है, इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त समस्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित खनन विभाग से परमिट जारी करवाया हुआ है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में भी संपरिवर्तन करवा रखा है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से कृषि से अकृषि कार्य में नही लिया जा रहा है, बल्कि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में संपरिवर्तन करवाया हुआ है तथा सम्बन्धित खनन विभाग से परमिट भी जारी करवाया है। उक्त समस्त कृषि भूमि लाईसेन्स पट्टा, माईनिंग मे जुडी हुई है। परमिट व संपरिवर्तन आदेश की प्रतियां संलग्न जबाव प्रार्थना पत्र है। मद संख्या 5 गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नही अस्वीकार है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन नही किया गया है और ना ही आवंटन की शर्तों का उल्लघंन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का अकृषि भूमि के रुप में रुपान्तरण करवाया हुआ है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने उपयोग में ले रहे है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह मिलीभगत से मिथ्या तैयार की गई है। मद संख्या 6 में वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र गलत व बिना किसी विधिक प्रक्रिया के तथा बिना किसी मौका की जांच किये मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब पेश होने के उपरान्त प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादी चक 10 जीडी का प.नं. 205/44 के किला नं0 1/1 का 0.203 है0, 2 का 0.253 है0, 10/1 का 0.203 है0, 11/14 का 0.1037 है0 कुल 0.7627 है0 अ0क0 तथा किला नं. 20/1 का 0.202 है0, 21/1 का 0.025 है0, 22 का 0.126 है0 कुल 0.353 है0 अ0क0 रकबा में प्रतिवादीगण द्वारा बिना अनुमति के अकृषि कार्य करते हुए ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग करने पर उक्त रकबा को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का अधिकारी है?

   ...सिद्ध करने का भार वादी

2. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है ?

   ...सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण

प्रकरण में तनकीयात कायम कर वादी एवं प्रतिवादीगण के साक्ष्य प्राप्त किये गये। साक्ष्य वादी में स्टेट की ओर पैरोकार राज को बार–बार अवसर देने के बाद

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी विपन कुमार की साक्ष्य करवाई जाकर असल ईंट मिट्टी परमिट खान एवं भू–विभाग श्रीगंगानगर दिनांक 04.01.2024 से दिनांक 30.09. 2028 प्रदर्श – 1 हैं, जिसकी चित्रप्राति पत्रावली पर प्रदर्श – 1ए हैं। कनवर्जन आदेश दीपक कुमार जिन्दल प्रदर्श – 2 हैं। कनवर्जन आदेश विपन कुमार जिन्दल प्रदर्श – 3 है। असल पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रथम कुल 4 पृष्ठों में प्रदर्श – 4 है. जिसकी चित्रप्रति पत्रावली पर प्रदर्श – 4ए हैं। असल पॉल्यूशन सर्टिफिकट द्वितीय कुल 6 पृष्ठों मैं प्रदर्श – 5 हैं जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श – 5ए है, प्रदर्शित करवाये गये।

साक्ष्य के उपरान्त पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजपैरोकार ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया एवं वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण नहीं है व प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से कृषि से अकृषि कार्य में उपयोग नहीं लिया जा रहा है, बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में संपरिवर्तन करवाया हुआ है तथा सम्बन्धित खनन विभाग से परमिट भी जारी करवाया है। उक्त समस्त कृषि भूमि लाईसेन्स पट्टा, माईनिंग मे जुडी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन नही किया गया है और ना ही आवंटन की शर्तों का उल्लघंन किया है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व से ही अपनी उक्त भूमि का अकृषि भूमि के रुप में रुपान्तरण करवाया हुआ है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपने उपयोग में ले रहा है। इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का बिन्दुवार विश्लेषण निम्न प्रकार से पाया जाता है–

- **तनकी संख्या 1** : आया कि वादी चक 10 जीडी का प.नं. 205/44 के किला नं0 1/1 का 0.203 है0, 2 का 0.253 है0, 10/1 का 0.203 है0, 11/14 का 0.1037 है0 कुल 0.7627 है0 अ0क0 तथा किला नं. 20/1 का 0.202 है0, 21/1 का 0.025 है0, 22 का 0.126 है0 कुल 0.353 है0 अ0क0 रकबा में प्रतिवादीगण द्वारा बिना अनुमति के अकृषि कार्य करते हुए ईंट भट्टा प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग करने पर उक्त रकबा को राजकीय भूमि में समायोजित करवाने का अधिकारी है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से बार–बार अवसर देने पर भी इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादी द्वारा न तो पटवारी हल्का की दैनिक डायरी की प्रति पेश की गई है और न ही साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मौके पर बिना अनुमति के अकृषि कार्य किया गया था जबकि प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है कि उनके द्वारा अपनी कृषि भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाकर ही अकृषि कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार वादी की ओर से इस तनकी को प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

- **तनकी संख्या 2** : आया कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया गया है? इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ईंट भट्टा हेतु उपयोग में ली जा रही भूमि का पूर्व में ही कृषि से अकृषि भूमि में संपरिवर्तन करवाया हुआ है तथा सम्बन्धित खनन विभाग से परमिट भी जारी करवाया है। उक्त समस्त कृषि भूमि लाईसेन्स पट्टा, माईनिंग मे जुडी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उलल्लघंन नहीं किया गया और ना ही आवंटन की शर्तों का उललघंन किया जाना पाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी के पास कोई ठोस वाद कारण मौजूद नहीं था। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में पूर्णतः साबित किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकीवार विश्लेषण करने के उपरान्त पाया जाता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि में किसी प्रकार का अकृषि कार्य किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादी द्वारा पेश किए गए वादपत्र के कथनों को एवं वाद के दौरान कायम की गई तनकीयात को उचित साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाने पर वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक २8 .01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

प्रिया बजाज
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना